**विवरण**

| क्रम सं | परियोजना का नाम | अनुमानित लागत (लाख रू. में) | प्राप्ति की तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बादानगर मे जल-सप्लाई की संवर्द्धन योजना . . | 232.00 | 4–4–94 | सी.पी.एच. ई. ई. ओ. की जांच के तहत |
| 2. | दीवास जल-सप्लाई योजना (संशोधित) . . | 5155.00 | 6–4–94 | सी. पी. एच. ई. ई. ओ. की जांच के तहत |
| 3. | शामगढ़ व गारोध कस्बों और 29 सूखाग्रस्त गांवों की समूह जल-सप्लाई योजना . | 1338.00 | 6–4–94 | राज्य सरकार को टिप्पणियां भेजी गयी थी जिनका उत्तर दिसम्बर, 1994 में प्राप्त हुआ, जो योजना सी. पी. एच. ई. ई० ओ. की जांच के तहत है। |
| 4. | बायोरा नगर में अन्तरिम जल-सप्लाई योजना चरण-2 | 167.00 | 5–1–95 | सी. पी. एच. ई. ई. ओ. की जांच के तहत |
| 5. | जामाई वृद्धि जल सप्लाई योजना | 168.00 | 13–2–95 | सी. पी. एच. ई. ई. ओ. की जांच के तहत। |

सी. पी. एच. ई. ई. ओ. :— केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन

**नल जल योजना का कार्यान्वयन**

770. **श्री राघवजी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार नल जल योजना केवल उन्ही गांवों में कार्यान्वित होती है, जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के आधार पर 2000 लोगों से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब 1981 जनगणना के स्थान पर 1991 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा तथा क्या इस संबंध में निर्धारित जनसंख्या के मानदंड को 2000 से घटाकर 1000 व्यक्ति कर दिया जाएगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मध्य प्रदेश के विदिशा तथा रायसेन जिलों के उन गांवों के नाम क्या हैं, जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के आधार पर 2000 व्यक्तियों मे अधिक थी, किन्तु वहां नल जल योजना कार्यान्वित नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ग) पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजनाएं उनकी तकनीकी व्यवहार्यता, किफायती लागत और स्रोतों की निरंतरता के आधार पर शुरु की जाती है न कि कवर किए जाने वाले लोगों की संख्या के आधार पर। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मार्गदर्शिकाओं में पाइप द्वारा जल सप्लाई योजनाएं शुरु करने के लिए लोगों की ऐसी कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यों जनगणना समय 1991 की जनसंख्या को आधार माना जाता है।

(घ) भाग (क),(ख) व (ग) में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**Sanitation facility in rural areas**

771. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:

SHRI RAM JETHMALANI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sanitation facility is available to mere 2.5 per cent of the total population living in the rural areas of the country where as the drinking water facility is available to 20 to 25 per cent of such population;

(b) if not, what are the facts in this regard;

(c) whether it is also a fact that Government have implemented various programmes to provide these facilities in the rural areas during the last few years; and

(d) if so, what are the targets set to provide these facilities during the years 1991-92 to 1994-95 together with the pernentage of such targets achieved during the each of the years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) Coverage of rural population under Rural Water Supply 81.4 per cent (This is based on the reports received from the State Governments every year.) However, the habitation survey gave the following data.

—Population in Not Covered (NC) habitations 45.26 per cent.

—Populotion in Partially Covered (PC) habitations 45.81 per cent.

—Population in Fully Covered (FC) habitations-48.93 per cent.

The coverage under Rural Sanitation is 12.67 per cent out of which about 3 per cent of the rural population has been covered through Government assisttd programmes and balance through private initiatives.

(c) Yes, Sir.

(d) A statement is enclosed.

**Statement**

*Progress of Coverage of Villages/Habitations under rural water supply programme (ARWSP & MNP) and Physical progress under rural Sanitation (CRSP & MNP) No. of Individual Latrin Constructed*

| Year | R.W.S.P. | | R.S.P. | |
|---|---|---|---|---|
| | Target | Achievement | Target | Achievement |
| 1991- 92 | 40519 | 36500 | 438531 | 235804 |
| 1992-93 | 33533 | 34360 | 340915 | 32807 |
| 1993-94 | 40212 | 41488 | 498075 | 331873 |
| 1994- 95 | 58916 | 39366 (1/95) | 627276 | 298896 (1/95) |